"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अप्रैल 2016— चैत्र 18, शक 1938

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-14/2008/नौ/55. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों के नियम एवं अनुसूची में,-

1. नियम 8 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (च) का लोप किया जाए ।
2. अनुसूची-एक (क) के सरल क्रमांक 06 के कॉलम (6) में, प्रविष्टि "प्रतिनियुक्ति" का लोप किया जाये ।
3. अनुसूची-दो (ख) में, सरल क्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"8	डायटिशियन	06	50%	50%	-	-"

4. अनुसूची-तीन (क) में,-
   (क) सरल क्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये ।
   (ख) सरल क्रमांक 5, 6 एवं 7 से संबंधित कॉलम (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

   "किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण ।"

5. अनुसूची-तीन (ख) में, क्रमश: सरल क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 से संबंधित कॉलम (6) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"1.	अधिष्ठाता/प्राचार्य	-अध्यक्ष
2.	संयुक्त संचालक-सह-अधीक्षक	-सदस्य
3.	वरिष्ठ प्राध्यापक	-सदस्य
4.	अजा/अजजा संवर्ग के राजपत्रित अधिकारी से एक प्रतिनिधि	-सदस्य
5.	प्रशासकीय अधिकारी	-सदस्य सचिव"

6. अनुसूची-चार (क) में,-

(क) सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"01	वरिष्ठ अंकेक्षक/ सहायक कार्यालय अधीक्षक/सहायक ग्रेड-एक /कनिष्ठ अंकेक्षक	कार्यालय अधीक्षक	वरिष्ठ अंकेक्षक/सहायक कार्यालय अधीक्षक के लिये 3 वर्ष, वे व्यक्ति जो सहायक ग्रेड-एक का पद धारित किये बिना सहायक ग्रेड-दो से सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर सीधे पदोन्नत हुए हो, के लिए 8 वर्ष का अनुभव एवं सहायक ग्रेड-एक/कनिष्ठ अंकेक्षक के रूप में 6 वर्ष का अनुभव।	1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा **-अध्यक्ष** 2. संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा **-सदस्य** 3. अजा/अजजा संवर्ग के राजपत्रित अधिकारी से एक प्रतिनिधि **-सदस्य** 4. प्रशासकीय अधिकारी **-सदस्य।**"

(ख) सरल क्रमांक 02 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"02-क	कनिष्ठ अंकेक्षक	वरिष्ठ अंकेक्षक	03 वर्ष	1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा **-अध्यक्ष** 2. संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा **-सदस्य** 3. अजा/अजजा संवर्ग के राजपत्रित अधिकारी से एक प्रतिनिधि **-सदस्य** 4. प्रशासकीय अधिकारी **-सदस्य।**
02-ख	सहायक ग्रेड-एक	सहायक कार्यालय अधीक्षक	03 वर्ष	-तदैव-"

(ग) सरल क्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"03	लेखापाल / सहायक ग्रेड—दो / कैशियर / स्टोर कीपर	सहायक ग्रेड—एक / कनिष्ठ अंकेक्षक	05 वर्ष का अनुभव (किन्तु कनिष्ठ अंकेक्षक के लिये, 45 वर्ष की आयु तक, लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण)	1 संचालक, चिकित्सा शिक्षा — **अध्यक्ष** 2. संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा — **सदस्य** 3. अजा / अजजा संवर्ग के राजपत्रित अधिकारी से एक प्रतिनिधि — **सदस्य** 4. प्रशासकीय अधिकारी — **सदस्य।**"

(घ) सरल क्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"06	सहायक ग्रेड—तीन	लेखापाल / सहायक ग्रेड—दो / कैशियर / स्टोर कीपर	05 वर्ष (लेखापाल / कैशियर के लिये, 45 वर्ष की आयु तक, लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण)	1 संचालक, चिकित्सा शिक्षा — **अध्यक्ष** 1. संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा — **सदस्य** 3. अजा / अजजा संवर्ग के राजपत्रित अधिकारी से एक प्रतिनिधि — **सदस्य** 4. प्रशासकीय अधिकारी — **सदस्य।**"

7. अनुसूची–चार (ख) में,–

(क) सरल कमांक 1 एवं 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	सहायक कार्यालय अधीक्षक / वरिष्ठ अंकेक्षक / मुख्य लिपिक / सहायक ग्रेड–एक	कार्यालय अधीक्षक	वरिष्ठ अंकेक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव एवं सहायक कार्यालय अधीक्षक / मुख्य लिपिक / सहायक ग्रेड–एक के रूप में 6 वर्ष का अनुभव	1. अधिष्ठाता / प्राचार्य – **अध्यक्ष** 2. संयुक्त संचालक–सह–अधीक्षक – **सदस्य** 3. वरिष्ठ प्राध्यापक – **सदस्य** 4. अजा / अजजा संवर्ग के राजपत्रित अधिकारी से एक प्रतिनिधि – **सदस्य** 5. प्रशासकीय अधिकारी – **सदस्य–सचिव**
2.	वरिष्ठ लेखापाल / लेखापाल / कैशियर	वरिष्ठ अंकेक्षक	08 वर्ष	–तदैव–"

(ख) सरल कमांक 4 एवं 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"4.	सहायक ग्रेड–दो / स्टोर कीपर / स्टोर–सह–लिपिक	सहायक ग्रेड–एक / मुख्य लिपिक / सहायक कार्यालय अधीक्षक	05 वर्ष	1. अधिष्ठाता / प्राचार्य – **अध्यक्ष** 2. संयुक्त संचालक–सह–अधीक्षक – **सदस्य** 3. वरिष्ठ प्राध्यापक – **सदस्य** 4. अजा / अजजा संवर्ग के राजपत्रित अधिकारी से एक प्रतिनिधि – **सदस्य** 5. प्रशासकीय अधिकारी – **सदस्य–सचिव**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	सहायक ग्रेड--तीन / टायपिस्ट / कार्यालय लिपिक / रिसेप्शनिस्ट / कोडिंक क्लर्क / रिकार्ड कीपर / असिस्टेंट रिकार्ड क्लर्क / मेडिकल रिकार्ड क्लर्क / कम्प्यूटर स्टोर क्लर्क / असिस्टेंट स्टोर कीपर / स्टोर क्लर्क	सहायक ग्रेड--दो / कैशियर / स्टोर कीपर / लेखापाल / सहायक स्टोर कीपर / वरिष्ठ लेखापाल	सहायक ग्रेड–3 के पद पर 05 वर्ष का अनुभव (वरिष्ठ लेखापाल / लेखापाल / कैशियर, 45 वर्ष की आयु तक, लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण)	–तदैव–"

(ख) सरल कमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6–क	स्टेवर्ड	डायटिशियन	05 वर्ष	1. अधिष्ठाता / प्राचार्य – **अध्यक्ष** 2.संयुक्त संचालक–सह–अधीक्षक – **सदस्य** 3. वरिष्ठ प्राध्यापक – **सदस्य** 4. अजा / अजजा संवर्ग के राजपत्रित अधिकारी से एक प्रतिनिधि – **सदस्य** 5.प्रशासकीय अधिकारी – **सदस्य–सचिव।"**

(ख) सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7.	विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सहायक ग्रेड–तीन / टायपिस्ट / कार्यालय लिपिक / रिसेप्शनिस्ट / कोडिंक क्लर्क / रिकार्ड कीपर / असिस्टेंट रिकार्ड क्लर्क / मेडिकल रिकार्ड क्लर्क / कम्प्यूटर स्टोर क्लर्क / असिस्टेंट स्टोर कीपर / स्टोर क्लर्क	(1) विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण हो और जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (2) शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किसी अन्य निर्देश के अनुसार।	1. अधिष्ठाता / प्राचार्य – **अध्यक्ष** 2. संयुक्त संचालक–सह–अधीक्षक – **सदस्य** 3. वरिष्ठ प्राध्यापक – **सदस्य** 4. अजा / अजजा संवर्ग के राजपत्रित अधिकारी से एक प्रतिनिधि – **सदस्य** 5. प्रशासकीय अधिकारी – **सदस्य–सचिव**।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 21-14/2008/नौ/55. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th April 2016

NOTIFICATION

No. F 21-14/2008/IX/55. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Medical Education Department Class-III Non-Gazetted (Ministerial and Non-Ministerial) Service, Recruitment Rules, 2011, namely :-

AMENDMENT

In rules and Schedule of the said rules,-

1. Sub-clause (f) of clause (1) of rule 8 shall be omitted.

2. In column (6) of serial number 06 of Schedule-I (A), the entry "Deputation" shall be omitted.

3. In Schedule-II(B), for serial number 8 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"8	Dietician	06	50%	50%	-	-"

4. In Schedule-III(A),-

   (a) serial number 2 and entries relating thereto shall be omitted.

   (b) for entries in column (5) relating to serial number 5, 6 and 7, the following shall be substituted, namely:-

   "Passed Class VIII from any recognized Board/ Institution."

5. In Schedule-III(B), for entries in column (6) relating to serial number 1, 2, 3, 4, 5 and 6, the following shall be respectively substituted, namely:-

"1	Dean/Principal	-Chairman
2.	Joint Director-cum-Superintendent	-Member
3.	Senior Professor	-Member
4.	One representative from SC/ST Category Gazetted Officer	-Member
5.	Administrative Officer	-Member-Secretary"

6. In Schedule IV(A),-

(a) for serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"01	Senior Auditor/ Assistant Office Superintendent/ Assistant Grade-I/Junior Auditor	Office Superintendent	3 years for Senior Auditor/ Assistant Office Superintendent 8 years experience for those who have been directly promoted to Assistant Office Superintendent from Assistant Grade-II without holding the post of Assistant Grade-I and 6 years experience as Assistant Grade-I/Junior Auditor)	1. Director Medical Education **– Chairman** 2. Joint Director, Medical Education **– Member** 3. One representative from SC/ST category Gazetted Officer **- Member** 4. Administrative Officer **- Member."**

(b) After serial number 02 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"02-a	Junior Auditor	Senior Auditor	03 years	1. Director Medical Education **– Chairman** 2. Joint Director, Medical Education **– Member** 3. One representative from SC/ST category Gazetted Officer **- Member** 4. Administrative Officer **- Member.**
02-b	Assistant Grade-I	Assistant Office Superintendent	03 years	----do---"

(c) for serial number 3 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"03	Accountant/ Assistant Grade-II/ Cashier/ Store Keeper	Assistant-I/ Junior Auditor	05 years experience (but for Junior Auditor upto 45 years of age for those who have passed Account Training)	1. Director Medical Education – **Chairman** 2. Joint Director, Medical Education – **Member** 3. One representative from SC/ST category Gazetted Officer - **Member** 4. Administrative Officer - **Member."**

(d) for serial number 6 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"06.	Assistant Grade-III	Accountant/ Assistant Grade-II/ Cashier/ Store Keeper	05 years (for Accountant/ Cashier upto 45 years of age for those who have passed Account Training)	1. Director Medical Education – **Chairman** 2. Joint Director, Medical Education – **Member** 3. One representative from SC/ST category Gazetted Officer - **Member** 4. Administrative Officer - **Member."**

7. In Schedule-IV(B),-

(a) for serial numbers 1 and 2 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	Assistant Office Superintendent/ Senior Auditor/ Head Clerk/ Assistant Grade-I	Office Superintendent	3 years experience as Senior Auditor and 6 years experience as Assistant Office Superintendent/ Head Clerk/ Assistant Grade-I	1.Dean/Principal - **Chairman** 2.Joint Director-cum-Superintendent -**Member** 3.Senior Professor – **Member** 4. One representative from SC/ST category Gazetted Officer - **Member** 5. Administrative Officer - **Member-Secretary**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Senior Accountant/ Accountant/Cashier	Senior Auditor	08 years	---do--"

(b) for serial numbers 4 and 5 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"4.	Assistant Grade-II/ Store Keeper / Store-cum-Clerk	Assistant Grade-I /Head Clerk / Assistant Office Superintendent	05 years	1.Dean/Principal - **Chairman** 2.Joint Director-cum-Superintendent -**Member** 3.Senior Professor – **Member** 4. One representative from SC/ST category Gazetted Officer - **Member** 5. Administrative Officer - **Member-Secretary**
5.	Assistant Grade-III/ Typist/Office Clerk/ Receptionist/ Coding Clerk / Record Keeper /Assistant Record Clerk/Medical Record Clerk/Computer Store Clerk/Assistant Store Keeper/Store Clerk.	Assistant Grade-II/ Cashier/ Store Keeper/ Accountant /Assistant Store Keeper/ Senior-Accountant	05 Years experience Assistant Grade-3 (Senior Accountant/Accountant /Cashier Passed Account Training up to 45 years of age)	---do--"

(b) After serial number 6 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6-a	Steward	Dietician	05 years	1.Dean/Principal - **Chairman** 2.Joint Director- cum- Superintendent – **Member** 3. Senior Professor – **Member** 4.One representative from SC/ST category Gazetted Officer - **Member** 5.Administrative Officer - **Member-Secretary."**

(b) for serial number 7 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7.	Departmental Class-IV Employees	Assistant Grade-III/Typist/ Office Clerk/ Receptionist / Coding Clerk/ Record Keeper/ Assistant Record Clerk/ Medical Record Clerk/ Computer Store Clerk/ Assistant Store Keeper/ Store Clerk.	(1) Departmental Class-IV employees who have passed (10+2) examination from any recognized education Board and completed 5 years of services. (2) Any other instructions issued by the General Administration Department of Government, from time to time.	1.Dean/Principal - **Chairman** 2.Joint Director-cum-Superintendent -**Member** 3.Senior Professor - **Member** 4. One representative from SC/ST category Gazetted Officer - **Member** 5. Administrative Officer - **Member-Secretary"**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
T. K. VERMA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.